संख्या-38/2015/1601/38-4-15-21(बजट)/2014

प्रेषक,

उमा कान्त मिश्र,
उप सचिव,
उ0 प्र0 शासन ।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास
उ0 प्र0, लखनऊ ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 28 दिसम्बर, 2015

विषयः- लोहिया ग्रामीण आवास योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष-2015-16 के लिए अनुदान संख्या-83 में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-जी.ओ.-154/वि0का0/लो0ग्रा0आ0यो0/2015, दिनांक-26 नवम्बर, 2015 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष-2015-16 के लिए आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 में लोहिया ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु प्राविधानित धनराशि रू0-25992.10 लाख में से आपके प्रस्तवानुसार रू0-18660.125 लाख (रूपये एक अरब छियासी करोड़ साठ लाख बारह हजार पॉच सौ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय, निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

1- स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर आदि में नहीं रखी जायेगी तथा 03 माह के अन्दर निश्चित रूप से व्यय कर ली जायेगी ।

2- स्वीकृत धनराशि योजना के शासनादेश संख्या-107/38-4-13-05 (बजट)/2012 दिनांक 20-02-2013 एवं इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत व्यय की जायेगी । साथ ही वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्राविधानों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा ।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि से मात्र अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को लाभान्वित किया जायेगा, तथा आयुक्त, ग्राम्य यह सुनिश्चित करेगें कि अनुदान संख्या-83 मे स्वीकृत की जा रही धनराशि को योजनान्तर्गत बजट प्राविधान की सीमा मे व्यय किया जायेगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि में यदि कोई विचलन पाया जाता है, तो उसके लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास स्तर पर वित्त नियंत्रक एवं जिला स्तर पर मुख्य विकास अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे।

4- उक्त धनराशि का व्यय तभी किया जायेगा जब योजनान्तर्गत ग्रामों के चयनित लाभार्थियों की सूची जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।

5- जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होने के उपरान्त शासी निकाय के अनुमोदनोपरान्त लाभार्थी के बैंक खाते में धनराशि हस्तानान्तरित की जायेगी।

6- स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन

2/-

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

1- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृत आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा।

7- समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु योजना के शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा तथा आहरित धनराशि का समय से उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा ।

8- इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का कड़ाई से अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

2- तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष, 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखाशीर्षक-"4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय-03-ग्रामीण आवास-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-05-लोहिया ग्रामीण आवास योजना-24-वृहद निर्माण कार्य" नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 के द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(उमा कान्त मिश्र)
उप सचिव ।

संख्या- 38/2015/1601 (1)/38-4-2015, तद्दिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
2- सम्बन्धित मण्डलों के मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।
3- सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी, उ0प्र0।
4- अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
5- सम्बन्धित मण्डलों के संयुक्त विकास आयुक्त, उ0प्र0।
6- सम्बन्धित जनपदों के मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ0प्र0।
7- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0, लखनऊ ।
8- सम्बन्धित जनपदों के मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9- वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-2/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-3
10- राज्य योजना आयोग अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-4
11- बजट प्रकोष्ठ, समाज कलयाण विभाग।
12- ग्राम्य विकास अनुभाग-3 ।
13- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(उमा कान्त मिश्र)
उप सचिव ।

यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

1- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।